संo 713 /V-श0वि0-06-425(सा0)/04

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग: देहरादून: दिनांक–25 मार्च, 2006

विषय : वर्ष–2005–06 में नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण (वाह्य सहायतित ADB **Project**) योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार रू0–241.00 लाख की (रूपये दो करोड इकतालिस लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू–डेक, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।

6– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7– परियोजना पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

8— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष—2005—06 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13, लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—97—वाह्य सहायतित योजना—9701—नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण—16—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0—463/XXVII(2)/2006 दिनांक—24मार्च 2006 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 713(1)/V-श0वि0—06,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 मे इसे शामिल करे।
6— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू—डैक, देहरादून।
7— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

Items of Expenditure				
S.N	Particulars	Amount (in Rs. Lacs)		
			Sub Total	Total
1	Consultancy Firm's Payment		115	
	Service Tax		12	127
2	PMU			
	2.01	Office Premises		6
	2.02	Staff Emoluments		
		Managerial	12	
		Support Staff	4	16
	2.03	Traveling Expenses		5
	2.04	Logistics		
		Equipment	7	
		Furniture/Fixtures	3	10
	2.05	Vehicle		
		Cost	5	
		Maintenance+ Salary	3	8
	2.06	Telephone/Fax/E-Mail	2	2
	2.07	Electricity	1	1
	2.08	Stationary		2
	2.09	Seminars, Workshops, Awareness/Promotional Programs		10
	2.10	Miscellaneous		2
	2.11	Contingency		2
3	Equipment-others (GIS, Plotters, etc.)			50
		Grand Total		241